6/5/22

राजस्व (अपील) ...
तारीख 16/11/22
को पेश हो।

प्रकरण राज्य सरकार के आदेशानुसार आयोजित
के पश्चात निस्तारित किया जाता है। अतः पत्रावली
मौके अदालत से दर्ज रजिस्टर ... 3112
पर दिनांक 11/12/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

11/12/22 पत्रावली आज मूल वाद के साथ प्रस्ताव गौर के लिए व
आदेशित कोड कठूमर के मौके पर प्रस्तुत
हुई। वकील नहीं। प्रार्थी अपने वकील प्रार्थी/अप्रार्थी
1,2,3 के लिए आवेदित होकर निवेदन किया कि
हमें बाजीनामा / आपसी सहमति से गई है। अतः
दिनांक अभिलेख पत्र और चलाना नहीं चाहते हैं। अतः
अभिलेख खारिज किया जाता है। पत्रावली ~~[illegible]~~ वकील प्रार्थीगण
के अभिलेख के आधार पर खारिज किया जाता
है। पत्रावली मौके मुताबिक रजिस्टर के अन्दर वाद तकमील
मूल वाद के साथ दफ्तर में रखा जाता।

प्रशासन गांवों के संग
अभियान-2021

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)